


अध्याय-3

मुद्रा, बचत एवं साख



मुद्रा – मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो।

मुद्रा का विकास :

- वस्तु मुद्रा में मुद्रा के रूप में किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता था। पहले जानवरों के खाल, उसके बाद गाय, बकरी आदि, फिर अनाज।
- इसके बाद धातु मुद्रा के रूप में लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चाँदी आदि का प्रयोग होने लगा। पहले इसका आकार अनिश्चित होता था। फिर बाद में निश्चित आकार एवं वजन के शुद्ध धातु के सिक्के प्रचलन में आए।
- धातुओं की मात्रा सीमित होने के कारण मुद्रा की मांग को पूरा करने में कठिनाई होने लगी। इसलिए धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ।

- कागज से बने होने के कारण इसे कागजी मुद्रा भी कहते हैं। उदाहरण – 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट जिसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है।
- आधुनिक समय में साख मुद्रा का प्रयोग होने लगा। जैसे चेक, ड्राफ्ट इत्यादि।
- अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन प्रायः साख मुद्रा द्वारा ही होता है।
- इसके बाद अभी हम प्लास्टिक मुद्रा जैसे – एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि का प्रयोग करते हैं।

मुद्रा के कार्य :

विनिमय का माध्यम : (किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने-बेचने का माध्यम)।

1. **वस्तु विनिमय प्रणाली** : इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने बेचने का माध्यम कोई अन्य वस्तु ही होता है।
2. **मौद्रिक विनिमय प्रणाली** : इस प्रणाली में किसी वस्तु को खरीदने-बेचने का माध्यम मुद्रा होता है। मुद्रा का रूप अर्थव्यवस्था के विकास के साथ बदलता रहता है।

मूल्य का मापक :

किसी वस्तु या सेवाओं के मूल्य को मापने में मुद्रा इकाई के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा (रुपये, पैसे) के रूप में व्यक्त किया जाता है।

मूल्य का संचय :

- मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताएँ भी महत्वपूर्ण होती हैं।
- मनुष्य भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहता है, जो मुद्रा के द्वारा संभव होता है।

विलम्बित भुगतान का मान :

आधुनिक समय में बहुत से कार्य उधार पर होते हैं, जिनका भुगतान बाद में किया जाता है। यह मुद्रा के कारण संभव होता है।

क्रय शक्ति का हस्तांतरण :

- आर्थिक विकास के साथ-साथ खरीदने-बेचने के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। जिसके कारण दूर-दूर तक खरीद-बिक्री की आवश्यकता पड़ी।
- मुद्रा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है।

साख का आधार :

वर्तमान समय में व्यवसाय में बड़े पैमाने पर साख मुद्रा जैसे – चेक, ड्राफ्ट आदि का प्रयोग होता है। इस साख का आधार मुद्रा होता है। जिस व्यक्ति के पास बैंक में जितनी मुद्रा होगी, उसी के अनुपात में उसका साख होता है।

वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ :

1. आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव

ऐसी परिस्थितियों का अभाव पाया जाता है, जिसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकताएँ एक दूसरे द्वारा पूरी हों।

2. मूल्य के सामान्य मापक का अभाव

एक वस्तु के बदले या किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा मिलनी चाहिए, यह तय करना कठिन होता है। अतः मूल्य की माप ठीक ढंग से नहीं हो पाती।

3. भविष्य के भुगतान में कठिनाई

- वस्तुएँ नाशवान होने के कारण अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती।
- वस्तुओं का संचय करना कठिन होता है।
- भविष्य में भुगतान के लिए वस्तुओं को नहीं रखा जा सकता।

4. मूल्य के हस्तांतरण की कठिनाई

वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई होती है।

5. मूल्य के संचय का अभाव

वस्तुएँ नाशवान होने के कारण उसे संचित नहीं किया जा सकता।

मुद्रा से लाभ :

1. उपभोक्ता को लाभ

- प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को खरीद सकता है।
- जिस व्यक्ति के पास अधिक मुद्रा है, वह अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सकता है।

2. उत्पादक को लाभ

- मुद्रा की सहायता से उत्पादक उत्पादन से संबंधित वस्तुओं, जैसे – कच्चा माल खरीदने, मशीन लगाने, मजदूरी देने संबंधी कार्यों को आसानी से कर पाता है।

- उत्पादन लागत, वस्तु का मूल्य एवं लाभ की मात्रा की गणना मुद्रा के आधार पर ही किया जाता है।
3. **मुद्रा और साख**

बैंक लोगों की छोटी-छोटी बचतों को इकट्ठा कर लेते हैं तथा उद्योगों को उधार देते हैं। इस तरह मुद्रा साख का आधार है।
 4. वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को मुद्रा के आविष्कार ने दूर कर दिया।
 5. **मुद्रा और पूंजी की तरलता**
 - मुद्रा ने पूंजी को तरलता प्रदान किया है अर्थात् इसे प्रत्येक व्यक्ति आसानी से स्वीकार करते हैं।
 - इसे भविष्य में किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है।
 6. **मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता**
 - पूंजी की गतिशीलता का अर्थ है कि पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है।
 - बैंकों के साख पत्रों (चेक, ड्राफ्ट इत्यादि) ने तो पूंजी की गतिशीलता में काफी वृद्धि की है।
 7. **मुद्रा और पूंजी निर्माण**

मुद्रा को बैंक में रखकर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है एवं उद्योग धंधों में निवेश (लगाकर) करके पूंजी निर्माण में वृद्धि की जा सकती है।
 8. **मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग**

मुद्रा के द्वारा बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किये जा सके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है।
 9. **मुद्रा और आर्थिक प्रगति**

मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है।
 10. **मुद्रा और सामाजिक कल्याण**

मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है एवं इसी आधार पर सामाजिक कल्याण का कार्य किया जाता है।

बचत (Saving) :

- प्रत्येक व्यक्ति या परिवार की कुछ आय होती है। इस आय में से ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर व्यय (खर्च) करता है। इसे उपभोग व्यय कहते हैं।
- उपभोग पर व्यय करने के बाद आय की जो राशि बच जाती है, उसे बचत कहते हैं। अर्थात्, बचत = आय – उपयोग पर किया गया व्यय।
- इस बचत का उपयोग विनियोग पर किया जाता है।

साख :

- साख का अर्थ है – विश्वास या भरोसा
- जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास किया जाता है, उसकी साख उतनी ही अधिक होती है।
- अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास होता है।

साख का आधार :

1. विश्वास – साख देने वाला या ऋणदाता उधार देने को तभी तैयार होता है, जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी (कर्ज लेने वाला) समय पर रुपये लौटा देगा।
2. चरित्र – ऋणी का चरित्र या व्यवहार भी साख का आधार होता है।
3. चुकाने की क्षमता – व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता भी साख का आधार होता है।
4. पूंजी एवं संपत्ति – ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति की जमानत के आधार पर ही ऋण देता है।
5. ऋण की अवधि – ऋणदाता दीर्घकाल (लम्बे समय) के लिए ऋण देने में घबराते हैं।

साख पत्र :

1. **चेक** – एक प्रकार का लिखित आदेश जो बैंक में रुपये जमा करने वाला देता है कि उसमें लिखित राशि लिखित व्यक्ति को दे दी जाए।
2. **बैंक ड्राफ्ट** – एक बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक को दिया गया पत्र, जिसमें लिखी हुई रकम अंकित व्यक्ति को दी जाती है।
3. **यात्री चेक** – यात्रियों की सुविधा के लिए दिया गया चेक, जिसे किसी भी बैंक से लिया जा सकता है।
4. **प्रतिज्ञा पत्र** – ऐसा पत्र, जिसमें अंकित रकम ब्याज सहित निश्चित अवधि में लौटाई जाय।

